Sixteenth Loksabha

pan>

Title: Ragarding the SC&ST Amendment Act passed by Supreme Court.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): उपाध्यक्ष जी, आज 9 अगस्त है। मैं आजादी के उन शहीदों को बहुत-बहुत नमन करता हूं। आज आदिवासी दिवस भी है, इसलिए मैं आदिवासी समाज के लोगों को बधाई देता हूं। मेरे क्षेत्र में कोल आदिवासी जनजाति के लोग बहुत पाये जाते हैं। मैं सरकार से आशा करता हूं कि वह उन्हें शीघ्र ही जनजाति का दर्जा देगी।

महोदय, इस समय पूरे देश में एक अफवाह फैलाई जा रही है। जब से यहां से एस.सी.,एस.टी. एक्ट का संशोधन, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसका यहां रिव्यू किया गया है, उसमें विशेष तौर से सवर्ण समाज और पिछड़े समाज के बीच में एक अफवाह फैलाई जा रही है कि उसमें तुरंत ही गिरफ्तारी हो जाएगी, चाहे रिपोर्ट झूठी लिखी हो। इसे लेकर लोगों में बहुत आक्रोश है और जगह-जगह धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं। आज कुछ जगहों पर बंद भी रखा गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि इसमें लोगों को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। न्याय के तकाजे में ऐसे ही किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Bhairon Prasad Mishra.